

फर्द अहकाम

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी मावली, जिला-उदयपुर

प्रार्थी : मंहत रासबिहारी शरण

विपक्षी : खेमसिंह

किस्म मुकदमा - 131, 133 भूराजस्व अधिनियम

पत्रावली संख्या : 57 / 2025

जीसीएमएस : 2025 / 209

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हराबर पटी तथा सूचनाएं जारी की गईं
	<p>दिनांक : 27.05.2025</p> <p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थीगण एवं राजपैरोकार उपस्थित। तहसीलदार घासा द्वारा रिपोर्ट दिनांक 21.05.2025 को प्रस्तुत की गई। प्रतिवादी संख्या 1 से 6 के विरुद्ध पूर्व में एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जा चुके हैं। अधिवक्ता प्रार्थीगण एवं राजपैरोकार द्वारा बहस का निवेदन किया गया। बहस अधिवक्ता प्रार्थी एवं राजपैरोकार की बहस सुनी गई।</p> <p>तहसीलदार घासा द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम मारुवास पटवार हल्का नउवा तहसील घासा जिला उदयपुर के जमाबन्दी सवन्त 2065-2068 के खाता संख्या 205 पर खातेदार चनणा पिता मोखमसिंह राजपूत के नाम आराजी नम्बर 1056/2 किता 01 रकबा 10 बीघा गैर खातेदारी हक से दर्ज रिकॉर्ड हुई एवं तत्पश्चात् वर्तमान खातेदार के नाम दर्ज रेकॉर्ड हुई। वर्तमान खातेदार द्वारा माननीय न्यायालय में तरमीम शुद्धि का प्रार्थना पत्र पेश किया गया जिस पर जांच में राजस्व रेकॉर्ड नक्शा शीट पर उपलब्ध नक्शे में तरमीम 1.2949 हैक्टेयर से कम पाई गई। वक्त एलॉटमेंट उक्त आराजी 1056/2 जो कि वर्तमान में 1995/1782 एवं 1996/1782 बने हैं, की तरमीम की स्थिति आवंटन पत्रावली फर्द कब्जा सुपुर्दगी, नामान्तरण पत्रावली एवं नक्शा ट्रेस पटवार मण्डल कार्यालय पर उपलब्ध नामान्तरण फाईल नम्बर 2 एवं 3 के जिर्ण सिन (फटे) होने से उपलब्ध नहीं है। नक्शा शीट (बटर, लट्टा) में एवं ऑनलाईन नक्शा में प्रार्थी के आराजीयात् में उपलब्ध रकबा कम होना पाया गया है। अतः मौके अनुसार उपलब्ध तरमीम तैयार कर प्रस्तावित की गई है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं मौका अनुसार प्रस्तावित की जा रही तरमीम से बिलानाम सरकार का रकबा प्रभावित नहीं हो रहा है। तहसीलदार घासा द्वारा रिपोर्ट के साथ रिपोर्ट पटवारी हल्का नउवा मय मौका पर्चा, नक्शा ट्रेस एवं नामान्तरण की प्रति साथ साथ संलग्न की गई। प्रस्तावित नक्शा ट्रेस संलग्न किया गया।</p> <p>हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। तहसीलदार घासा द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अध्ययन किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि ग्राम मारुवास पटवार हल्का नउवा तहसील घासा की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077-80 के खाता संख्या 440 पर दर्ज आराजी नम्बर 1995/1782 रकबा 1.2949 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज है। तहसीलदार रिपोर्ट एवं प्रार्थी द्वारा स्वीकार किया गया है कि उक्त भूमि का रकबा राजस्व नक्शे में कम दर्ज किया गया है। न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि किसी भी आराजी का रकबा राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में एवं राजस्व नक्शे में भिन्न - भिन्न नहीं हो सकता है। इस प्रकरण में आराजी नम्बर 1995/1782 का रकबा जमाबन्दी एवं नक्शे में भिन्न भिन्न है। जबकि नक्शे में अंकित आकृति का रकबा जमाबन्दी अनुसार होना चाहिए था। उक्त तरमीम से प्रभावित होने वाले पक्षकारों को भी हेतुक दर्शित करने के लिए सूचना पत्र जारी किए गए। विपक्षी संख्या 1 से 6 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से इनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किए गए। इससे जाहीर होता है कि तरमीम शुद्धि की जाती है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। तहसीलदार घासा द्वारा भी स्वीकार किया गया है कि उक्त उक्त आराजीयात का रकबा जमाबन्दी में दर्ज रकबे अनुसार नक्शे में नहीं है। तहसीलदार घासा द्वारा मौके एवं जमाबन्दी में दर्ज रकबे अनुसार प्रस्तावित</p>	

नक्शा ट्रेस भी प्रस्तुत किया है। ऐसे में राजस्व नक्शे में हुई त्रुटि को शुद्ध किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र न्यायहित में तहसीलदार घासा की रिपोर्ट के आधार पर स्वीकार योग्य पाया जाता है।

—: आदेश :-

परिणामस्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 133 भू- राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि ग्राम मारूवास पटवार हल्का नउवा तहसील घासा की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077-80 के खाता संख्या 440 पर दर्ज आराजी नम्बर 1995/1782 रकबा 1.2949 हैक्टर भूमि की तरमीम तहसीलदार घासा द्वारा प्रस्तावित नक्शा ट्रेस अनुसार किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार घासा द्वारा प्रस्तावित नक्शा ट्रेस इस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। प्रस्तावित नक्शा ट्रेस अनुसार तरमीम किये जाने हेतु तहसीलदार घासा को लिखा जावे। पत्रावली फ़ैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
मावली